भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1589
दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थिति और कार्यक्षमता

1589. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देशभर में संचालित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की संख्या कितनी है, और यह वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितनी है;

(ख) वर्तमान में कितने ओएससी अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण अस्थायी सुविधाओं से संचालित हो रहे हैं, और उन्हें स्थायी अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओएससी कर्मचारी लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों को प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान कर सकें, उन्हें उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या ओएससी के समक्ष वित्त पोषण की कमी और परिचालन से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) तथा (ख) : वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता

है। चूंकि यह योजना मांग आधारित है, इसलिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओएससी स्थापित करने और उन जिलों में अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अधिक है या जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है या जनसंख्या अधिक और जो आकांक्षी जिले हैं। आज की तारीख में देश भर में 802 ओएससी या तो अपने भवन में या पहले से मौजूद सरकारी भवन या किराए के आवास में संचालित हैं।

(ग): मंत्रालय ने मनो-सामाजिक परामर्श, लिंग आधारित हिंसा के मामले का प्रबंधन, लैंगिक संवेदीकरण और डैशबोर्ड प्रचालन पर सत्रों की सुविधा के लिए निपसिड, निमहंस, यूएनएफपीए, एनएएलएसए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को शामिल करके वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए हैं।

(घ): ओएससी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधीन है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए निर्धारित व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निधियां जारी की जा रही है।

*****